इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2013—भाद्र 20, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. एफ ए 6-13-2007-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियमों में,—

(1) विनियम-8 के उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) उप-विनियम (1) के अधीन आने वाले किसी सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में उसके पद पर नहीं रहने पर, आयोग में दी गई सेवा के लिये, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये, अध्यक्ष की दशा में रु. 10890/- तथा सदस्य की दशा में रु. 9890/- पेंशन इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी कि सरकारी सेवा के लिये देय पेंशन और आयोग में सेवा के लिए देय पेंशन की राशि अध्यक्ष की दशा में रु. 4,80,000/- तथा सदस्य की दशा में रु. 4,74,000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी. इस पेंशन का भुगतान आयोग के ऐसे शासकीय सदस्यों को नहीं किया जाएगा, जो उप-विनियम (2) के अधीन आयोग में की गई अपनी सेवा की गणना सरकारी पेंशन के लिए किए जाने का विकल्प देते हैं.".

(2) विनियम-9 के उप-विनियम (4) में,—

(क) खण्ड (1) में, शब्द "अड़सठ हजार छह सौ अट्ठाईस" के स्थान पर, शब्द "एक लाख पचपन हजार एक सौ" स्थापित किये जाएं.,

(ख) खण्ड (दो) में, शब्द "इकसठ हजार चार सौ चार" के स्थान पर, शब्द "एक लाख अड़तीस हजार सात सौ अस्सी" स्थापित किये जाएं,

टिप्पण : यह संशोधन दिनांक 1 जनवरी 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा. परन्तु इसके वास्तविक लाभ दिनांक 1 सितम्बर 2008 से अनुज्ञेय होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. एफ ए-6-13-2007-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-13-2007-एक (1), दिनांक 11 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2013

No. F -A-6-13-2007-One (1).—In exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution of India, the Governor of the Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1973, namely :—

AMENDMENTS

In the said Regulations,—

(1) For sub-regulation (3) of regulation 8, the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3) A member, falling under sub-regulation (1), shall be paid pension, on his ceasing to hold office as such member, for service rendered in the Commission @ Rs. 10,890/- in case of the Chairman, and @ Rs. 9890/- in case of the Member, for each completed year of service, subject to the condition that the sum of pension payable for Government Service and Pension payable for Service in the Commission shall not exceed Rs. 4,80,000/- in the case of Chairman, and Rs. 4,74,000/- in case of a Member, per annum. This pension shall not be paid to such official Members of the Commission who opt to count their Service rendered in the Commission for Government pension under sub-regulation (2).".

(2) In sub-regulation (4) of regulation 9,—

(a) in clause (i) for the words "sixty eight thousand six hundred twenty eight", the words "one lac fifty five thousand one hundred" shall be substituted.

(b) in clause (ii) for the words "sixty one thousand four hundred four", the words "one lac thirty eight thousand seven hundred eighty" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January 2006. Provided that actual benefit's of this shall be admissible with effect from 1st September, 2008.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.